तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मोहनसिंह व अन्य** बनाम **रामचन्द्र गरवा व अन्य** प्रकरण सं0 34/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 द.प्र.सं.	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष अनुपस्थित। अप्रार्थीपक्ष सं0 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय श्रीवास्तव उपस्थित। अन्य अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्त द्वारा दण्डिक प्रकरण सं0 92/2018 मोहनसिंह बनाम सरकार जरिये भारसाधक पदाधिकारी बनाड़ व अन्य निर्णय दिनांक 15.02.2019 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई, जो सामिल पत्राली किया गया। अप्रार्थीपक्ष 3 व 4 अधिवक्ता को सुना। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि को 145, द.प्र.सं. के तहत वर्तमान में अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, प्रथम जोधपुर में वर्ष 2019 से विचाराधीन है जो पूर्व में उक्त प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन था। प्रस्तुत प्रकरण के प्रार्थी मोहनसिंह वगैरा द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अ/धा 411 दण्ड प्रकिया संहिता के इस न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जाहिर किया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने बाबत् सुनवाई के लिए अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित करने का प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय में बाद सुनवाई आदेश दिनांक 15.02.2019 जारी करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन दण्डिक प्रकरण सं0 19/2016 अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी को सुनवाई के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर को स्थानान्तरित करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, परन्तु अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर (प्रथम) जोधपुर द्वारा कुछ समय सुनने के पश्चात् सुनवाई नहीं की। बहस में आगे कहा कि भारसाधक पदाधिकारी बनाड़ द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर पुनः झगड़ा होने की अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर द्वारा सुनवाई प्रारम्भ की तो मोहनसिह वगैरा ने अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर के विरूद्ध न्याय नहीं मिलने का मनगढन्त एवं अनावश्यक आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया तथा जान बूझकर प्रकरण को लम्बा करने के लिए निस्तारण नहीं करवाना चाहते है। अन्त में प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की। बहस के अन्त में कहा कि फिर भी न्यायालय प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानान्तरण करना चाहे तो उन्हें आपत्ति लगातार...	

11.07.22

भी नहीं है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में बतलाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया द्वारा सुनवाई की जा रही थी परन्तु सरदारजी ढिल्लो द्वारा उनसे न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाकर स्थानान्तरण करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से पत्रावली सुनवाई पुनः एडीएम सीटी जोधपुर में चल रही है। पत्रावली में आदेशिका लिखी गई उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। पीठासीन अधिकारी येनकेन प्रकेरण सामने वाली पार्टी को फायदा पंहुचाना चाहेते है अतः वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं होने से प्रकरण सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर से जरिये पत्रांक 398 दिनांक 06.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि तत्कालीन एडीएम सीटी सीमा कविया ने उक्त प्रकरण को विधिवत न्यायालय प्रकिया अपनाते हुए सुना परन्तु दोनों पक्ष फिर भी सतुष्ट नहीं हुए और कार्यप्रणाली पर बेबुनियाद मनगढंत एवं झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे जो पत्रावली पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि उक्त प्रकरण में पिछले लम्बे समय से तक कोविड, जिला परिषद चुनाव व अन्य कारणों के साथ दोनों पाटियों के अधिवक्तागण पेशियों के दौरान अनुपस्थित रहे। दिनांक 07.04.22 को अप्रार्थी सं0–1 की ओर से अन्य अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज करवाकर अपनी अण्डरटेकिंग दी। दिनांक 20.05.22 को थानाधिकारी बनाड़ ने धारा 145 सीआरपीसी का पुनः इस्तगासा दिया जिसमें दोनों पक्षों पर मालिकाना हक जताने तथा लड.ाई झगड़ा व शांति भग एवं जनहानि होने की पूर्ण संभावना एवं भूमि कुर्क करने का इस्तगासा प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा कि दिनांक 30.05.22 को दोनो अधिवक्तागण एवं सरकारी पेरोकार उपस्थित हुए, सभी को सुना गया तथा बहस के दौरान अप्रार्थी–2 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। दिनांक 01.06.22 को अप्रार्थी संख्या–2 ने पुनः न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया जसमें लिखा कि इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष फेयरनेस सही न्याय नहीं मिलने के कारण इस प्रकरण की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी से कराने तथा रीडर पर मिली भगत करने दबाव बनाकर सांठ–गांठ का आरोप लगने के साथ थानाधिकारी बनाड़ पर भी सांठगांठ एवं फर्जी रिपोर्ट से आरोपित करते हुए प्रकरण की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी से करवाने का आग्रह किया है। रिपोर्ट के अन्त में कहा कि किसी पक्षकार द्वारा पीठासीन पर असंतुष्टि

लगातार...

11.07.22

जताने एवं पत्रावली स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र देने पर इस न्यायालय में प्रकरण को सुनना एवं उस पर निर्णय करना उचित नहीं समझता हूँ।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर के न्यायालय में प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीपक्ष 2 ता 6 के मध्य विवादग्रस्त भूमि को लेकर 145,146 द0प्र0सं0 का प्रकरण विचाराधीन था तथा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण मोहनसिंह वगैरा के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर न्यायालय को सुनवाई के लिए स्थानान्तरित किया गया। उक्त प्रकरण का तीन माह में निस्तारण करने का आदेश दिया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जो उचित नहीं है। पूर्व में भी प्रार्थी मोहनसिंह के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण स्थान्तरण किया गया, अब भी इन्होंने वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना व्यक्त करते हुए स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को लम्बित करने के लिए बार–बार पीठासीन के विरूद्ध आरोप लगाकर स्थानान्तरण के प्रार्थना पत्र के तथ्य/कथन विश्वास योग्य नहीं हो सकते है। अतः हम अप्रार्थीपक्ष 3 व 4 के इस कथन से सहमत है कि प्रकरण में जानबूझकर मनगढन्त अरोप लगाकर उचित निस्तारण करने में विलम्ब करने का प्रयास है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ/धा 411 द.प्र.सं. सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की विधिवतः सुनवाई कर प्रकरण का समय पर निस्तारण करे। आदेश की प्रति अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हेा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।